(b) whether Government also propose to fix pension at addtional rate of one percent per year to the employees who have rendered more than 33 years of service;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government have received any representations from various trade unions/ individuals for fixing the pension only on the basis of last pay drawn instead of the average of the last ten months pay drawn; and

(e) if so, what action Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN): (a) The Vth Central Pay Commission has not recommended any enhancement in the existing percentage of pension payable to Central Government employees. However, the Commission's recommendations for stepping up pension to 50% of the minimum pay in the revised scale of pay introduced w.e.f. 1.1.1996 of the post last held by the pensioner has been accepted and orders are under issue.

(b) and (c) The matter is under examination of the Government.

(d) and (e) Yes, Sir. The Vth Central pay Commission appointed by the Government of India which has recently examined the existing pension structure has not made any recommendation for fixation of pension on the basis of last pay drawn instead of average of the last 10 months pay drawn. There is no proposal under the consideration of the Government for computation of pension on the basis of last pay drawn.

Medical Facilities to Government Servants

2134. SHRI R.N. ARYA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether fixed Medical Allowance @ 100/- p.m. is available to Central Government Pensioners/family pensioners residing in areas not covered by CGHS;

(b) whether such scheme is available to the employees of the NCT of Delhi as they are not covered under CGHS;

(c) the details of the scheme applicable to the employees of the NCT of Delhi; and

(d) the action taken/proposed to be taken for extending the Central Government Scheme to Delhi Government employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN): (a) Central Government pensioners, eligible for CGHS facilities and not residing in CHGS area, are eligible for a fixed medical allowance of Rs. 100/- p.m. in case they opt for not availing OPD facilities at the nearest CGHS dispensary.

(b) and (c) The employees/pensioners of the Government of NCT of Delhi are covered under the Scheme administered by the Government of NCT of Delhi, under which on payment of monthly contribution at prescribed rates, they are eligible for free treatment in a dispensary/hospital of the Government of Delhi and reimbursement, wherever applicable.

(d) There is no proposal to extend the Scheme for Central Government pensioners to cover the pensisoners of the Government of NCT of Delhi.

आरोपित लोक सेवकों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति मांगा जाना

2135. श्री कपिल सिब्बल:
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सरकार से 138 मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है जिनमें लोक सेवक (पब्लिक सर्वेन्ट) आरोपित हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों में मुकदमा चलाने के लिए उक्त एजेंसी को अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो अनुमति दिए गए मामलों की संख्या

कितनी है और अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक मामले के लिए सरकार द्वारा अनुमति देने में कितना-कितना समय लगा?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम॰ आर॰ जनार्दनन: (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उसने 138 मामलों में सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों से लोकसेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना शुरू करने की अनुमति मांगी थी, जो 30.06.1997 को मौजूद स्थिति के अनुसार, मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी हेतु लम्बित थे। उसके पश्चात्, 01 जुलाई, 1997 से 30 नवम्बर, 1998 के बीच की अवधि में, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा लोक-सेवकों के संबंध में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दिए जाने हेतु विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों को 330 मामले और भेजे गए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त कुल 468 मामलों (138 + 330) में से 398 मामलों में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी गई है तथा ऐसे एक मामले में सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मामला मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दिए जाने योग्य नहीं है। शेष रहे 69 मामले, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के सिलसिले में सक्षम प्राधिकारियों के पास आवश्यक जांच-पड़ताल और अपेक्षित कार्रवाई के विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। कुछ मामलों में आवश्यक जांच-पड़ताल और अपेक्षित कार्रवाई किए जाने में विलम्ब, उनके जटिल स्वरूप का होने, उनके संबंध में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग, विधि-कार्य-विभाग तथा संबंधित राज्य-सरकारों जैसे विभिन्न प्राधिकारियों से सलाह लिए जाने संबंधी अपेक्षा तथा न्यायालयों द्वारा दिए गए रोक-आदेशों के कारण हुआ है।

(ङ) मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करने में लगा समय दर्शाने वाली तालिका संलग्न विवरण में है।

विवरण

398 मामलों में लोक-सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की अनुमति प्रदान करने में लगा समय

1.	1 महीने के भीतर	-	64
2.	3 महीने के भीतर	-	97
3.	6 महीने के भीतर	-	105
4.	6 महीने से अधिक	-	132
	कुल	-	398

केन्द्रीय जांच ब्यूरो में रिक्तियां

2136. **प्रो॰ रामगोपाल यादव:**
श्री रमा शंकर कौशिक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय से संबंधित विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी॰बी॰आई॰) में रिक्त पदों को भरने के लिए सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम॰आर॰ जनार्दनन): (क) और (ख) जी, हां। गृह-मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति ने, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय की वर्ष, 1998-99 की अनुदान-मांगों के बारे में अपनी 44वीं रिपोर्ट में, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में विशेषत: बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए, रिक्त पदों को भरे जाने की ज़रूरत दोहराई है।

(ग) 31.10.1998 को मौजूद स्थिति के अनुसार, रिक्त चल रहे 787 पदों में से 700 से अधिक पद भरने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पदों को भरने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में चल रही कार्रवाई में पदों का परिचालन आवेदन पत्रों का आमंत्रित किया जाना, चुने गये उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करवाया जाना तथा नियुक्ति-पत्रों का जारी किया जाना शामिल है। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में रिक्त पद भरे जाने की प्रक्रिया में संघ-लोक-सेवा-आयोग, कर्मचारी चयन-आयोग, राज्य-सरकारों, अन्य मंत्रालयों/संगठनों इत्यादि जैसे अभिकरणों से समन्वय तथा परामर्श किया जाना जुड़ा होता है। जुलाई 01, 1998 के पश्चात्, कुल 135 रिक्त पद भर लिए गए हैं। पुलिस-अधीक्षक तथा उससे ऊपर की रैंक के 14 अधिकारियों को उपर्युक्त ब्यूरो में लिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

Supreme Court Decision on Concessions to SC/ST Employees

2137. SHRI JIBON ROY:
SHRI C.O. POULOSE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state: